न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट शाहबाद, जिला बारां

पीठासीन अधिकारी :— दीनानाथ बबल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 6/2016

दायर दिनांक :— 01.07.2018 उनवान निर्णय दिनांक :— 28.11.2019

1. विष्णु पुत्र नारान जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज0)
2. बाबू पुत्र नारान जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज0)
3. विद्या पत्नि नारान जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज0)

—अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामचन्द्र जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज0)
2. सुआ पुत्र रामचन्द्र जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज0)
3. गिन्नी पुत्री रामचन्द्र जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज0)हाल पत्नि सुमित्रानन्दन शर्मा निवासी झासी तिराहा शिवपुरी म0प्र0।
4. ग्राम पंचायत गदरेटा जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत गदरेटा तहसील शहाबाद जिला बारां।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व निर्णय सरपंच ग्राम पंचायत गदरेटा
नामान्तकरण संख्या 322 ग्राम बिहारीपुरा आदेश दिनांक 20.07.2010

अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है:—

1— यह की ग्राम बिहारीपुरा पटवार हल्का गदरेटा तहसील शाहाबाद में अपीलान्टस कम 1 व 2 के ग्रान्ड फादर एव कम 3 के ससुर रामचन्द्र पुत्र तेज्या जाति सहरिया निवासी मामोनी मृत्यू के उपरान्त उनके खाते की आराजी जो ग्राम बिहारीपुरा के ख0न0 363/397 रकवा 7.04 बीघा भूमि का फोती प्रश्नगत नामान्तकरण सरपंच ग्राम पंचायत गदरेटा द्वारा मृतक के पुत्र नारान, सुआ, जगदीश एवं पुत्री गिन्नी के नाम तस्दीक किया गया यह नामान्तरकरण सर्वथा गलत एवं विधि विरूद्व होने से प्रश्नगत नामान्तकरण पर पारित आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलान्टस जो नारान पुत्र रामचन्द्र जिनकी मृत्यु हो चुकी है के पुत्र एवं बेबा होकर वैधानिक वारिस यह अपील प्रस्तुत कर रहें है।

2— यह कि प्रश्नगत नामान्तरकरण से सम्बधित आराजी के खातेदार रामचन्द्र पुत्र तेज्या जाति से सहरिया थे जो अनुसूचित जनजाति के थे अनुसूचित जनजाति के सदस्यो पर हिन्दू उतरराधिकार कानून के प्रावधान लागु नही होते है, इनकी विरासत कोटा स्टेट के सर्कूलर न0 3 से शासित होती है इस कारण सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक

उप खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बाराँ (राज०)

Scanned by CamScanner

की विरासत में रेस्पो0 कम 3 जो मृतक की विवाहित पुत्री है जिसने सामान्य जाति के व्यक्ति से शादी कर रखी है, हो हिस्सा देकर कानूनी भूल की है, अनुसूचित जनजाति में विवाहित पुत्रियो को पिता की जायदाद में कोई हक नही होता है, रेस्पो0 कम 3 रामचन्द्र की मृत्यु से 30 साल पहले से विवाहित है।

3– यह कि उक्त नामान्तरकरण अपीलान्टस को काई सूचना दिये बिना, खोला जाकर तस्दीक किया गया है, जिसकी अपीलान्टस कोई जानकारी नही थी, अपीलान्टस को उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 06.06.2016 को पटवारी हल्का गदरेटा से नकल लेने पर हुई जानकारी से पूर्व का डिले सदभावी होकर क्षम्य है नकल मिलने के उपरान्त अपीलान्टस बीमार हो गये ठीक होने पर यह अपील प्रस्तुत कर रहें है डिले कन्डोन किये जाने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी0/अपीलान्टस स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने मे हुए डिले को माफ करने की कृपा करें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस ने जरिये अधिवक्ता ने वकालातनामा पेश किया। जवाब हेतू लंबा समय दिया गया, कई बार अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने से जवाब बन्द किया गया। बहस एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। अपीलान्टस ने अपील के जो आधार बताये कि वे आदिवासी होकर उन पर कोटा स्टेट का सर्कुलर नम्बर 3 लागु होता है। रेस्पोडेन्टस संख्या 3 ने सामान्य जाति के व्यक्ति से विवाह कर रखा है। इन आधारों के संबन्ध में कोई पुष्टकारक दस्तावेज पेश नहीं करने से इनके कथनों की पुष्टी नहीं होती है। अपील आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

आदेश

अतः उक्त अपील खारिज की जाती है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
शाहाबाद
शाहाबाद जिला बाराँ (राज०)

Scanned by CamScanner